जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

क्रमांक स्था.दो/बी/2019/173–5/अ.नि./ दिनांक / /2019

//आदेश//

म.प्र. शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी आदेश क्रमांक सी 3–12/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में जारी नियम एवं दिशा निर्देश जो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत हैं, के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों को सहायक श्रेणी–III के पद, सातवें वेतनमान लेवल 4 (रुपये 19500 +अन्य भत्ते) पर कॉलम क्र. 03 में दर्शित श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न शर्तों के अधीन दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर कॉलम क्रमांक 04 में अंकित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क्रं.	नाम	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
1.	श्री राजकुमार कोष्टा, पुत्र स्व. श्री पी.के. कोष्टा, 330 हनुमानताल वार्ड, फूटाताल, दुर्गा चौक, जबलपुर (म.प्र.) 482002	सामान्य	स्थापना शाखा–दो, कुलसचिव कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर **(A-Uni. Adm. 4 – Registrar Office)**
2.	श्री वैभव कुमार जुगनाहके, पुत्र स्व. श्री दुरगू सिंह जुगनाहके, क्वाटर नं. जी–12, कुठलिया फार्म, रीवा (म.प्र.) 486001	अजजा	स्थापना शाखा–दो, कुलसचिव कार्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर **(A-Uni. Adm. 4 – Registrar Office)**

उक्त सभी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पद के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा म.प्र.. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

संलग्न :– अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

स्ही

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक स्था.दो/बी/2019/173–5/अ.नि./ 833 दिनांक 08/08 /2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. लेखानियंत्रक, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. कार्यपालन यंत्री, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. सहायक कुलसचिव, सामान्य/स्थापना/विधि/शैक्षणिक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, स्थापना शाखा–दो/भविष्य निधि/गोपनीय/बजट एवं वित्त/सामान्य/पेंशन/वेतन निर्धारण/विधि, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. तकनीकी अधिकारी (प्रशा.), कुलपति सचिवालय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. कुलपतिजी/कुलसचिव/लेखानियंत्रक के निज सचिव, ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
7. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर। कृपया यह आदेश वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. संबंधित श्री .... / संलग्न अनुसार शपथ–पत्र नोटराईज कराकर उपस्थिति के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
9. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।

नोट – संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन संबंधी कार्यवाही की जावे।

8/8/19

उ. कुलसचिव

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म0प्र0)

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें

1. उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी भी इकाई में स्थानांतरित की जा सकेंगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह का वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती हैं। यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील होंगी।
3. उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा **(Oath of allegiance)** की शपथ लेनी होगी।
4. उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से अधिकतम एक माह की समयावधि में जिला प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
5. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से अधिकतम एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा की पात्रता होगी।
6. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जांएगीं।
7. उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय जन्मतिथि आदि के सत्यापन हेतु सभी वांछित मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम में विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय–समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
9. आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र जॉचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
10. सहायक श्रेणी–III के पद पर नियुक्त होने पर यह शर्त होगी की आवेदक तीन वर्ष के अंदर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी 3–15/2014/1/3 भोपाल, दिनांक 26.02.2015 के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा **(CPCT)** उत्तीर्ण करने के साथ ही उक्त विभाग के परिपत्र कमांक सी 3–07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18.08.2015 में उल्लेखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करें। उक्त समयावधि में अर्हताएं प्राप्त नहीं कर पाता हैं तो उसके द्वारा उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रयासों को देखते हुए एक वर्ष की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इस बढ़ाई गई अवधि में संबंधित कर्मचारी वांछित परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं करता है, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
11. उक्त नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना–2005 के अधीन होगी।
12. आवेदक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं संलग्न शपथ–पत्र असत्य पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

8/8/17

उ. कुलसचिव